24/1/24 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली पर उभय-पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र के कथनों को दोहराते हुए कथन किये कि ग्राम-शिवसिंहपुरा तह [illegible] स्थित ख.न. 25 रकबा 0.0379 है., ख.न. 28 रकबा 9.6481 हैक्ट. कृषि भूमि उभय-पक्षों की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। उभय-पक्ष उक्त भूमि के [illegible] खातेदार है। उक्त कृषि भूमि के बंटवारे में विवाद होने के कारण इसे वास्ते आरजी [illegible] किया गया है। विद्वान वकील प्रार्थी का आगे कहना है कि उभय-पक्षों के मध्य आराजी वादग्रस्त का आजतक विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। आराजी वादग्रस्त संयुक्त खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि है जिसका [illegible] [illegible] खातेदार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2024.03.05 16:23:20 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर लालसोट (दौसा)

किस्म मुकदमा (फर्द अहकाम (नियम 26) फार्म 111

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	गिर्राज बनाम कन्हैया टीआई - 2024/10	

दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से खाना बटवारा कर काफी समय से शांति पूर्वक अपने-अपने हिस्से पर कब्जा कर काश्त करते चले आ रहे हैं किन्तु अब प्रतिवादी / अप्रार्थी प्रार्थी के हिस्से की कब्जा-शुदा भूमि तथा मकान इत्यादि पर बलपूर्वक कब्जा करना चाहते है तथा संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि को बिना विभाजन हुए ही रहन, बय, हस्तान्तरण करने पर तुले है। जिसका अप्रार्थीगण को कोई अधिकार नही है। यदि अप्रार्थीगण अपने मनसूबो में कामयाब हो गये तो प्रार्थी के साथ घोर अन्याय होगा। तथा प्रार्थी को भारी क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति असम्भव है। प्रकरण prima facie प्रार्थी के पक्ष में ही है। अतः प्रार्थी के हितों की सुरक्षार्थ, रक्षार्थ अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसलावाद पाबन्द किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने [illegible] जवाबी बहस में जवाब [illegible] को दोहराते हुए [illegible] अधिवक्ता [illegible] के तर्कों का खण्डन किया है तथा उभय-पक्षों के बीच केवल आवागमन के मार्ग को लेकर विवाद होने के तर्क दिये है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2024.03.05 16:23:20 IST
Reason: SelfAttested

मिराज बनाम कन्हैया
टीआई-2024/10

हमने उभय-पक्ष के विद्वान अधिवक्तागणो की बहस पर गौर फरमाया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण के प्रश्नों के विनिश्चय हेतु विधि का अध्ययन किया गया। हम प्रत्यर्थीगण के कथनों एवं विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी के तर्कों से यहाँ तक सहमत है कि वादग्रस्त आराजी दोनों पक्षों की सह-खातेदारी की कृषि भूमि है। जिसका विभाजन नहीं हुआ है एवं विभाजन हेतु दावा एवं यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रस्तुत वादपत्र/प्रार्थना पत्र व शामिल जमाबन्दी संवत् 2076-79 के अवलोकन यह तथ्य सामने आते हैं कि जिस आराजी को वादग्रस्त करार देते हुए यह वादपत्र एवं प्रकरण पेश किया है उसी वादग्रस्त कृषि भूमि के सह-खातेदार और भी हैं- जिन्हें पक्षकार ही दर्ज नहीं किया गया है। जबकि विभाजन के दावे में सभी सह-खातेदारों को पक्षकार बनाये जाने का विधि का सु-स्थापित सिद्धान्त है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी इस प्रश्न का सन्तोषपूर्ण जवाब नहीं दे पाये हैं।

दूसरा विधि का पहलू है कि सह-खातेदारों के विरुद्ध [illegible] की जा-सकती है। [illegible] के अभाव [illegible] प्रतीत नहीं होता है। यदि सह-खातेदारों को बिना सुने ही पारित कर दिया तो प्रतिकूल असर प्रभावित होगा उनको न कि प्रार्थी को।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2024.03.05 16:23:20 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर लालसोट (दौसा)

किस्म मुकदमा (फर्द अहकाम (नियम 26) फार्म 111

गिर्राज बनाम कन्हैया

टीआरई - 2024/10

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

विवादित रास्ते के संरक्षण, सुरक्षा एवम् परिरक्षण हेतु निषेधाज्ञा जारी की जानी चाहिए इस बात से हम पूर्णतः सहमत है किन्तु निषेधाज्ञा एक वैवेकिक अधिकार है जिसे जारी करते समय न्यायिक पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए। प्रतिवादियों ने अपने कथन के तथा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में विवाद की विषय-वस्तु रास्ते के सरकारी होने का जिक्र किया है जबकि प्रार्थी ने कब्जा करने एवम् रहन, बय, हस्तान्तरण का प्रश्न किया है। ~~[illegible]~~ उक्त अभिकथनों की पुष्टि के लिए साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किया है जो कि प्रार्थी के कथनों को बल प्रदान करता हो। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य साबित नहीं हुआ है।

अतः उक्त विवेचनों एवम् तथ्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र prima facie प्रार्थी के पक्ष में नहीं होने, अपूरणीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन [illegible] विपरीत पाये जाने [illegible] जाकर खारिज [illegible] पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो। संलग्न मूलवाद रहे। निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
लालसोट जिला-दौसा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2024.03.05 16:23:20 IST
Reason: SelfAttested